

## न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मंडल ग्वालियर।

प्र०क० /17-18 निगरानी माल

निगरानी भिण्ड/भू.सं. /2017/3754

डॉ० योगेन्द्र सिंह सचिव श्री  
गोपालदास शिक्षा प्रसार एवं  
जनकल्याण समिति भिण्ड म०प्र०  
-आवेदक

472

श्री. विनायक जी वास्तव  
द्वारा आज दि. 9-10-2017 को  
परचुत

### बनाम

1. कटोरी बाई पत्नी कप्तान
2. महेश पुत्र आशाराम
3. सोनेलाल पुत्र चतुरी
4. गरसिंह पुत्र रामसकू
5. श्रीमती माया पत्नी जगदीश  
निवासी सोनेलाल का पुरा  
दबोहा रोड भिण्ड म०प्र०

-अनावेदक

धर्म दिनांक  
16-10-17

Noted  
16-10-2017

प्र०क० 12/12-13/निगरानी माल में न्यायालय  
अपर कलेक्टर जिला भिण्ड म०प्र० द्वारा दिये गये  
आदेश दिनांक 05/08/17 के विरुद्ध म०प्र०  
भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत  
निगरानी।

माननीय महोदय,

सेवा में अपीलार्थी निम्न प्रकार सादर निवेदन करता है:-


1. मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/आवेदक ने ग्राम दबोहा  
के आराजी सर्वे क्रमांक 344 रकवा 0.46 हेक्टर में से 0.45 हेक्टर  
, तथा आराजी सर्वे क्रमांक 345 रकवा 0.20 में से 0.12 हेक्टर  
भूमि को जयें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि के तत्समय के भूमि  
स्वामी छविराम से दिनांक 13/07/09 को कय कर कब्जा प्राप्त  
किया, व उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपना राजस्व कागजात  
में नामान्तरण कराया, तदोपरान्त श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी  
भिण्ड के यहां प्र०क० 385/9-10\*172 में पारित आदेश दिनांक

3

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3754

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-11-18 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">             प्रशासकीय सदस्य         </p>	